


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक 21.1.20

संख्या-7/स्था01-9-01/2011सा0प्र0.1117.../महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-97105 दिनांक 21.12.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में सुश्री अनुराधा, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, भोजपुर, आरा को विभागीय परिपत्र संख्या-3245 दिनांक 17.03.2017 के तहत तीन माह पूर्व इसकी सूचना दिये जाने अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा किये जाने तथा उनके विरुद्ध अन्य किसी बाकी बकाये की राशि एक गुश्त वसूली कर लिये जाने के शर्तों के अधीन सेवा से विरमित किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


21.01.2020
(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापक-7/स्था01-9-01/2011 सा0प्र0.1117.../पटना-15, दिनांक 21.1.20

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।


21.01.2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-7/स्था01-9-01/2011 सा0प्र0.1117.../पटना-15 दिनांक 21.1.20

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-97105 दिनांक 21.12.2019 के प्रसंग में/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा/जिला कोषांगार पदाधिकारी, भोजपुर/सुश्री अनुराधा, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, भोजपुर, आरा को महानिबंधक, उच्च न्यायालय पटना के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


21.01.2020
सरकार के अवर सचिव।

निबंधित